

फार्म  
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2016

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष \_\_\_\_\_

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम वीरेन्द्र सिंह कोरव 2. वर्तमान धारित पद अधीक्षण अभियंता 3. कार्यालय का नाम मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स)

जबलपुर 4. वर्तमान वेतन ग्रूलवेतन रु. 67000/- + ग्रेड पे 8700/- 5. मविध्य निधि क्रमांक 22608102 6. कर्मचारी संख्या 92430718 Bsk

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य (रुपये)	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. सैनिक सोसायटी जि०- जबलपुर	गृह (1500 वर्गफुट एकर में)	—	लगभग पैंतीस लाख	स्वयं के नाम पर	एलाट स्वयं की कमत से स्वयं मकान बना लेकर	निरंक	—
2. ग्राम- पिठवानी जि०- नरसिंहपुर	—	3.590 हे० कृषिभूमि	लगभग पंद्रह लाख	स्वयं के नाम पर	पैट्टा विरासत में मिली	रु. साठ हजार	—
3. ग्राम- दलवाडा जि०- नरसिंहपुर	संयुक्त पारिवारिक मकान पैट्टा है	0.202 हे० कृषिभूमि	लगभग दो लाख रु.	कृषिभूमि स्वयं के नाम पर	पैट्टा विरासत में मिली	रु. 35 हजार	—
4. इंदिरा वाई जि०- नरसिंहपुर	गृह (1000 वर्गफुट एकर में)	—	लगभग पच्चीस लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं की कमत से	—	—

अधीक्षक कार्यालय  
गाउरवारा  
जि० नरसिंहपुर (मि० 9०)

हस्ताक्षर: [Signature]  
नाम वीरेन्द्र सिंह कोरव  
पद अधीक्षण अभियंता (सतर्कता)

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य न.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।